रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2012/श्रावण 15, 1934
No. 395] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2012/SHRAVANA 15, 1934

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

**सा.का.नि. 612(अ).**—केन्द्र सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, मुंबई के पद से संबंधित विद्यमान भर्ती नियमों 1977 को उन बातों तक अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2-4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, के साथ अनुबंध या विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ अनुबंध या विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के निजी उपबंध में आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—यह नियम समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में अ.जा. व अ.ज.जा. तथा अन्य विशेष वर्गों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा आयु-सीमा में ढील और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| भारत का शत्रु संपत्ति अभिरक्षक | 1* (2012) कार्य भार के आधार पर परिवर्तन के अधीन | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन बैंड -3 (15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो, | भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा, जो भी हो या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | वह परिस्थितयां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति/ प्रोन्नति द्वारा | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति:केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जो:-<br><br>(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं अथवा<br>(ii) वेतन बैंड -3, 15600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 के ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ सदृश पद धारण किए हुए हैं और<br>(ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव हो। | ग्रुप-क प्रोन्नति विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य निम्नानुसार है:-<br>(i) अध्यक्ष/ सदस्य - लोक संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष<br>(ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन) गृह मंत्रालय सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बाहरी व्यक्तियों के साथ ही पे-बैण्ड 3 में 15600-39100+6600 के ग्रेड वेतन में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके विभागीय उप शत्रु संपत्ति अभिरक्षक पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन हो जाता है तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।<br><br>**टिप्पण-1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण-3:** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व ( वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई हैं) नियमित आधार पर की गई सेवा को एक से अधिक संशोधन पूर्व वेतनमान का समान ग्रेड वेतन सहित एक ग्रेड में अथवा वेतनमान में आमेलन किया गया है और जहां पर यह लाभ केवल उस पद (दों) के लिए लागू होगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन है, के अतिरिक्त समनुरूपी ग्रेड वेतन में अथवा वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किए गए वेतनमान में की गई सेवा के बराबर माना जाएगा। | (iii) संयुक्त सचिव स्वतंन्त्रता सेनानी, (पुनर्वास) गृह मंत्रालय - सदस्य | | |

[फा. सं. 37/17/2008-ई.पी.]

एस. के. आहूजा, अवर सचिव